मुकेश कुमार लाल, आई०ए०ए०एस०
विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना-800015
फोन नं०: 0612-2217926
ई-मेल : mukesh-kumar@bihar.gov.in

पत्र सं०–एम–4–21 / 2021(खण्ड)......2245....... **/वि०**

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–...28-02-26

विषयः– **वित्त विभागीय पत्रांक–2182 दिनांक–27.02.2026 को निरस्त करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के क्रम में अंतिम माह में कोषागारों में काफी संख्या में विपत्र प्रस्तुत किये जाते है, जिनमें अद्यतन आकस्मिक विपत्र एवं स्कीम से संबंधित विपत्र के साथ–साथ पूर्व के दावा से संबंधित बकाया विपत्र आदि भी सम्मिलित होते है। इस कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम माह यथा, फरवरी एवं मार्च में कोषागार में विपत्रों की सम्यक जाँच एवं उसे पारित करने में कठिनाईयाँ होती है। इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक–1354 दिनांक–06.02.2026 द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये थे।

2. कालांतर में होली पर्व को दृष्टिपथ में रखते हुए माह फरवरी 2026 के वेतन का भुगतान दिनांक–24.02.2026 से किये जाने संबंधी निर्णय संसूचित हुआ, जिसके आलोक में कोषागारों में विपत्रों की अत्यधिक संख्या का संज्ञान होने के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम वेतन एवं पेंशन के विपत्र को पारित करने हेतु विभागीय पत्रांक–2182 दिनांक–27.02.2026 द्वारा कतिपय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये। उक्त दिशा–निर्देश के क्रम में यह संज्ञानित हुआ कि कोषागारों में वेतन एवं पेंशन के विपत्र के अतिरिक्त अन्य विपत्रों को पारित करने के संबंध में भ्रम / संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वस्तुतः पत्रांक–2182 दिनांक–27.02.2026 प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम वेतन एवं पेंशन के विपत्रों को पारित किये जाने संबंधी सुगमता निर्धारित करने के साथ–साथ वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु जारी किया गया था। **इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक–2182 दिनांक–27.02.2026 को निरस्त किया जाता है।**

3. अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित **पूर्व निर्गत दिशा–निर्देश (पत्रांक–1354 दिनांक–06.02.2026) का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।**

विश्वासभाजन

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–एम–4–21 / 2021(खण्ड)–...2245..... / वि० **पटना, दिनांक–**...28-02-26

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापांक:–एम–4–21 / 2021(खण्ड)–...2245....... / वि० **पटना, दिनांक–**...28-02-26

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त के आप्त सचिव / पुलिस महानिदेशक, बिहार / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, लोक भवन / महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापांक:–एम–4–21 / 2021(खण्ड)–..2245.. / वि० **पटना, दिनांक–**..28-02-26

प्रतिलिपि:–माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव।